आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
20/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0 93/2011** **भृगुनाथ राय बनाम राज्य एवं अन्य.** **आदेश** यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश दिनांक 19/11/2011 के विरोध में दायर की गयी है। अपीलकर्त्ता का पक्ष है कि जिला स्तरीय दल द्वारा निरीक्षण की तारीख को उसकी दुकान इसलिए बंद पायी गयी थी, क्योंकि वह चिकित्सा कारणों से हाजीपुर में बेड रेस्ट में थे। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया और इसलिए प्रश्नगत आदेश अवैधानिक है। प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अपीलकर्त्ता की दलील इसलिए मान्य नहीं है कि वह सक्षम् प्राधिकार को बिना सूचना दिए लंबे समय तक जन वितरण प्रणाली दुकान को बंद नहीं रख सकते हैं। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश साक्ष्यों के स्वतंत्र परीक्षण पर आधारित नहीं है। वस्तुतः अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूछी गयी कारणपृच्छा में मात्र दुकान बंद करने का आरोप अंकित किया गया है। यह सही है कि दुकान बंद होने के कारण उससे संबंधित अभिलेख एवं भंडार का निरीक्षण तथा सत्यापन नहीं हो सका, किन्तु अनुज्ञापन पदाधिकारी को इसके लिए अलग से नोटिस निर्गत कर पहले सभी अभिलेखों एवं भंडार के निरीक्षण/ सत्यापन की कार्रवाई करनी चाहिए थी और उसके बाद ही आवश्यकतानुसार पुनः कारणपृच्छा कर अंतिम आदेश पारित करना चाहिए था। वैसे भी प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि दुकान बंद होने के लिए दिए गए कारणों एवं साक्ष्यों का उनके द्वारा परीक्षण किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे एक बार फिर इस मामले की सुनवाई कर विधि-सम्मत् आदेश पारित करें। लेखापित एवं संशोधित। [signature] 20/9/12 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। [signature] 20/9/12 जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	